किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– वगताराम बनाम तहसीलदार सिवाना वगैरह मु.नं. 380/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | पत्रावली पेश हुई।<br>उभय पक्ष के अधिवक्ता वकील उपस्थित। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी विप्रार्थी संख्या 8 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से विप्रार्थी संख्या 8 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।<br>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ताण्डाबेरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 310 व 311 कुल रकबा 10.0709 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिवाना (बालोतरा) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2026 / 4386 दिनांक : 10.06.2026

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **विप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| वगताराम उर्फ बगताराम पुत्र सोनाराम जाति पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा, धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा | | तहसीलदार सिवाना वगैरह |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी**

राजस्व आवेदन सं:–380 / 2025 दिनांक:–10.06.2026

**–:: आदेश ::–**

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम ताण्डाबेरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 310 व 311 कुल रकबा 10.0709 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000/–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाद / 2026 / 4387 दिनांक : 10.06.2026

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी धारणा को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी श्री वगताराम उर्फ बगताराम पुत्र सोनाराम जाति पुरोहित निवासी पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा, धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)